

फैक्स एवं
ई-मेल

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....²⁷/जे0, पटना, दिनांक 19-01-18
सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भागलपुर, पटना एवं गया ।

विषय:- मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं दूरभाष विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु निम्नप्रकार कुल-1,16,500/- (एक लाख सोलह हजार पाँच सौ) रुपये का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

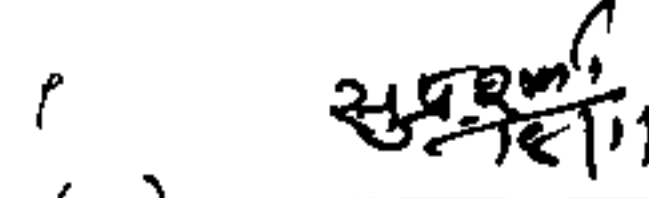
॥ आवंटित राशि का ब्यौरा ॥

क्र0सं0	परिवार न्यायालय का नाम	11.01- यात्रा व्यय	13.03- दूरभाष	योग	पत्र का प्रसंग
1.	भागलपुर	-----	6,500	6,500	686/19.12.2017
2.	पटना	-----	10,000	10,000	11/09.01.2018
3.	गया	1,00,000	-----	1,00,000	51/09.01.2018
		1,00,000	16,500	1,16,500/- (एक लाख सोलह हजार पाँच सौ) रुपये	

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-117-परिवार न्यायालय, उपशीर्ष-0001-परिवार न्यायालय के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं दूरभाष विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि0(2), दिनांक 17.4.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-428/वि0, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उपबंधित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- कृपया मासिक व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन हेतु ससमय विहित प्रपत्र में व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।
- इस शीर्ष की माँग संख्या-27 एवं विपत्र कोड-27-2014001170001 है

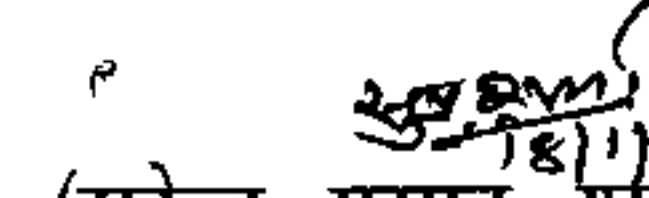
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....²⁷/जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

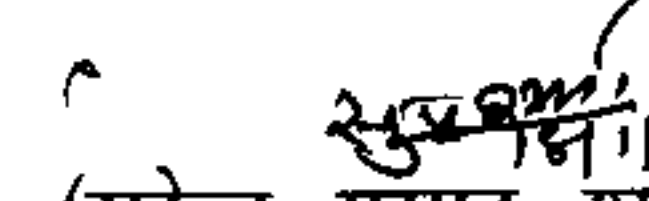
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....²⁷/जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-29/2017.....²⁷/जे0, पटना, दिनांक 19-01-18

प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार।